न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 10/2014 G.C.M.S. No. 2014/00103 दर्ज दिनांक : 03.03.2014

अपीलार्थिगण:

1. वीरमाराम पुत्र रामा
2. वजाराम पुत्र रामा
3. तुलसी पत्नी रामा, जातिगण रेबारी, निवासीगण गुडा कल्याणसिंह, तहसील बाली व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. किशन पुत्र केसा
2. कपूरचंद पुत्र खेता
3. धनाराम पुत्र रामा, जातिगण रेबारी, निवासीगण गुडा कल्याणसिंह, तहसील बाली व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या एफ.12(3)/राज/रास्ता/535 दिनांक 24.02.2014 बअनवान किशन वगैरह बनाम वीरमाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 24.02.2014

पेशकार–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 24.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या एफ.12(3)/राज/रास्ता/535 दिनांक 24.02.2014 बअनवान किशन वगैरह बनाम वीरमाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 24.02.2014 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 ने अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 3 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उसकी खातेदारी आराज़ी कृषि भूमि गुडा कल्याणसिंह में खसरा नंबर 94, 97, 113, 122 व 123 स्थित है। जिसमें जाने के लिए रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा खसरा नंबर 119 में से 5 मीटर चौडा रास्ता उपलब्ध करवाया जावें, विकल्प में अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया व अपीलांट्स को नोटिस ज़ारी किए गए, जिस पर अपीलांट द्वारा यह आपत्ति पेश की गई कि रेस्पोंडेंट की खातेदारी भूमि में जाने के लिए खसरा नंबर 94 से लगता हुआ मौके पर रास्ता उपलब्ध है। जिसका

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कदीम से उपयोग-उपभोग किया जा रहा है। इसलिए वैकल्पिक रास्ता रेस्पोंडेंट को उपलब्ध है। इसलिए प्रकरण खारिज किया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जोकि सर्वथा विधिविरूद्ध है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में 3 बार अलग-अलग मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत हुई हैं और तीनों में ही तथ्य अलग-अलग दर्ज है। प्रथम मौका रिपोर्ट सम्पूर्ण रेकर्ड की जांच किए जाने और मौका निरीक्षण के बाद तैयार की गई है जिस अनुसार रेस्पोंडेण्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना बताया है और रास्ता मौके पर चालू होना बताया है। बाद की दोनों मौका रिपोर्टों में भी उक्त रास्ते को चालू तो बताया, लेकिन यह बताया गया कि निजी खातेदारी भूमि में से यह रास्ता है, जहां पर इन खसरान के खातेदारान ने फाटक लगा रखी है और यह लिख रखा है कि यह निजी उपयोग का रास्ता है इसलिए यहां से रास्ता दिया जाना उचित नहीं बताया है। चूंकि निजी खातेदारी में से रास्ता दिये जाने पर कोई रोक नहीं है और किसी खातेदार के यह कहने से अथवा फाटक लगा देने से कि निजी रास्ता है इस कारण से किसी को रास्ते की सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार की प्रथम रिपोर्ट में बताया गया वैकल्पिक रास्ता रेस्पोडेण्ट के लिए अधिक सुगम व सरल रास्ता है चूंकि पूर्व में अर्थात् भू-प्रबंध से पूर्व खसरा नम्बर 83 व 95 के बीच में जो रास्ता वर्तमान में चालू बताया गया है वह रेकर्ड में भी रास्ता ही था और उसके खसरा नम्बर 5/134 थें, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 14, 15, 16 बताये है। हाल ही में हुए भू-प्रबंध के बाद तैयार नक्शे में पूर्व अनुसार रास्ता दर्ज नहीं किया है, ज़िससे उपरोक्त संकट उत्पन्न हुआ है। ज़ब रेस्पोंडेण्ट के सुविधाज़नक, सरल वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है ऐसी स्थिति में फाटक लगाकर रास्ता किसी खातेदार द्वारा बंद करने से वह रास्ता न तो निजी हो जाता है, न ही इस आधार पर नये रास्ते की अनुमति दी ज़ा सकती हैं। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश पूर्णरूपण तथ्यों के विपरित ज़ाकर पारित किया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है, न ही किसी प्रकार का विवेचन किया है और जान-बूझकर रेस्पोंडेण्ट के आवेदन को स्वीकार करने की नियत मात्र से पूर्व में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका निरीक्षण रिपोर्ट के विपरित पश्चात्वर्ती क्रम में मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाकर उसको आधार दस्तावेज बताते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। भू-प्रबंध के बाद राजस्व नक्शे में ज़ान-बूझकर रास्ता हटा दिया गया, जहां पर वर्तमान में भी रास्ता मौके पर मौजूद होना तहसीलदार एवं आर.आई. ने अपनी रिपोर्ट में भी माना है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी माना है, लेकिन यह दर्ज करना कि उक्त रास्ता निजी खातेदारी भूमि में से है इस कारण से अनुतोष से इन्कार नहीं किया जा सकता है। रेस्पोंडेण्ट द्वारा जो रास्ता चाहा गया है और जिस बाबत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निजी खातेदारी भूमि में से ही रास्ता चाहा गया है और निजी खातेदारी भूमि में से ही रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती मौका रिपोर्ट और उसके आधार पर पारित आदेश पूर्णतया अवैध होने से अपास्त योग्य है। खसरा नम्बर 119 व 124 की माठ पर खसरा नम्बर 119 में से रास्ता रेस्पोंडेण्ट ने चाहा है और सम्पूर्ण भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से चाही गई है, जबकि रेस्पोंडेण्ट के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अधिकतम खसरा नम्बर 119 व 124 में से बराबर–बराबर ही रास्ता दिया जा सकता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 124 के खातेदार को छोड़ते हुए सम्पूर्ण रास्ता खसरा नम्बर 119 में से ही दिये जाने बाबत आदेश पारित किया है, इस कारण भी अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ज़ैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा ग्राम गुडा कल्याणसिंह में स्थित अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 122 व 123 तक पहुंच के लिए पहुंच मार्ग हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24.2.2014 द्वारा स्वीकार कर खसरा संख्या 119 में से रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बाली का जांच प्रतिवेदन दिनांक 28.12.2012 एवं नकल नक्शा व जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट खसरा संख्या 122, 123, 113, 96 व 94 की खातेदारी के अभिलिखित खातेदार है तथा उक्त चारों खसरान की आराज़ी परस्पर मिली हुई हैं एवं खसरा संख्या 94 की आराजी तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार मौके पर चलायमान रास्ता ए से बी से लगती हुई स्थित है तथा ए से बी रास्ता सी से डी के रूप में अभिलिखित एवं मौके पर चलायमान रास्ता से मिलता है। अतः स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराज़ी तक पहुंच के लिए पहुंच मार्ग का अभाव नहीं हैं तथा प्रार्थीगण द्वारा महज सुविधा के लिए खसरा संख्या 119 में से रास्ते की मांग की गई हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में विस्तृत जांच किए बिना एवं तहसीलदार रिपोर्ट तथा ज़मांबंदी व भू–नक्शा पर गौर किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो पुष्टि योग्य नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

3. पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रभावित पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की गई हैं एवं न ही प्रभावित खातेदारान को इस संबंध में सूचित किए जाने का कोई उल्लेख है। जबकि मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व संबंधित खातेदारान को सूचित किया जाना आज्ञापक है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी इस पर गौर किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो त्रुटिपूर्ण है।
4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुरूप पुनः निर्णयन के लिए प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या एफ. 12(3)/राज/रास्ता/535 दिनांक 24.02.2014 बअनवान किशन वगैरह बनाम वीरमाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 24.02.2014 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में खसरा संख्या 94, 95, 97, 113, 122, 123, 119 की वर्तमान खातेदारी स्थिति की जांच करते हुए खसरा संख्या 122 व 123 के लिए पहुंच मार्ग के संबंध में धारा 251–क एवं नियम 69 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित करवाते हुए प्रकरण में पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 29.01.2026 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **24.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner